

बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 237)

6 ज्येष्ठ 1933 (श0) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-03/2011/लेज: 93—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2011 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव। [बिहार अधिनियम 6, 2011]

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2011

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में संशोधन करने हेत् अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –(1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—2 (घ) का संशोधन।— बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—2 (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—
- ''(घ) ''उच्च विद्यालय'' से अभिप्रेत है स्थापना अनुज्ञा प्राप्त कोई विद्यालय या प्रस्वीकृत विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण देने वाला या इस रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विभाग।"
- 3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—4 का संशोधन।—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—4 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द समूह ''लोक शिक्षा निदेशक, बिहार'' को शब्द समूह ''निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—4 ख का संशोधन।—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7ए1952) की धारा—4 ख की उप—धारा (1) एवं (2) में प्रयुक्त शब्द समूह "लोक शिक्षा निदेशक, बिहार" को शब्द समूह "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—7 का संशोधन।—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—7 की उप—धारा (1) (2) एवं (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा:—
 - (1) पाठ्यक्रम समिति-

समिति द्वारा प्रत्येक संकाय के विषयों हेतु पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जायेगा तथा ऐसी प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होगें जो विषय विशेषज्ञ होगें।

- (2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक समिति में होंगे -
- (I) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- (II) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- (III) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा स्नातक महाविद्यालय के दो वरीय अध्यापक / प्राचार्य
- (IV) निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षण शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- (3) समितियों का दायित्व होगा कि :-
 - (क) माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पढ़ाये जाने वाले विषयानुसार पाठ्यक्रम को समिति एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से राज्य सरकार को अनुशंसित करना;
 - (ख) पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु "बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना" को समुचित निर्देश देना;
 - (ग) ''बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना'' से प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य पुस्तकों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार को अनुशंसित करना;
 - (घ) माध्यमिक स्तर पर उच्च विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम एवं पढ़ाने के तरीके में बेहतरी हेतु सुझाव देना ; एवं
 - (ङ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन ।
- 6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—8 का संशोधन |—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा—8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - 8 (1) समिति के पदाधिकारी- निम्नलिखित समिति के पदाधिकारी होगें :-
 - (I) अध्यक्ष
 - (II) सचिव

- (III) शैक्षणिक निदेशक
- (IV) संयुक्त सचिव (उच्च माध्यमिक)
- (V) संयुक्त सचिव (माध्यमिक)
- (VI) परीक्षा नियंत्रक (उच्च माध्यमिक)
- (VII) परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
- (VIII) वित्त पदाधिकारी
- (IX) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम द्वारा प्रस्तावित अन्य पदाधिकारी समिति के पदाधिकारी होंगे।
 - 8 (2) अध्यक्ष एवं सचिव, के अतिरिक्त उपर्युक्त धारा—8 के खण्ड (1) में अंकित समिति के पदाधिकारियों की शक्ति एवं दायित्व का निर्धारण प्रशासी विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर समिति द्वारा किया जायेगा ।
- 7. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन अधिनियम 1952 यथासंशोधित की धारा—10—ख की उप—धारा—(4) में संषोधन ।—(1) अधिनियम की धारा—10 ख की उप—धारा (4) में प्रयुक्त शब्द—समूह "प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार" के स्थान पर शब्द समूह "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 8. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 यथासंशोधित की धारा–10–ग में संशोधन।–बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा–10–ग के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा :–

परन्तु यह और कि बोर्ड निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शासी निकाय / प्रबंध समिति के गठन हेतु विनियम बना सकेगी ।

- 9. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा–12 का संशोधन |- (1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा–12 के खण्ड (च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
- ''(च) माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच अनुदानों का भुगतान उन विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन एवं अन्य बेहतरी के लिये किया जायेगा।''
- (2) धारा—12 के खण्ड (झ) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द समूह ''लोक शिक्षा निदेशक, बिहार'' को शब्द समूह ''निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 10. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा–17 का संबोधन।–बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा–17 में प्रयुक्त शब्द समूह ''राज्य सरकार'' को शब्द समूह ''प्रशासी विभाग'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

27 मई 2011

सं० एल०जी०-1-03/2011/94/लेज:।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2011] BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD (AMENDMENT) ACT 2011

ΑN

ACT

TO AMEND THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD ACT, 1952
BE it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the Sixty
Second year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Bihar School Examination Board (Amendment) Act 2011.
 - (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 2. Amendment of Section- 2(d) of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).- Section-2 (d) of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) shall be substituted by the following:-
- " (d) "High School" means a school having establishment permission or a recognized school or department of a recognised school imparting instructions in secondary education and recognised as such."
- 3. Amendment of Section-4 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).- In clause (b) of Subsection- (1) the words "Director, of public Instruction, Bihar" shall be substituted by "Director, Secondary Education, Bihar.".
- 4. Amendment of Section-4 B of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).- In Subsection (1) and (2) of Section-4 B of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) the words "Director, of public Instruction, Bihar" shall be substituted by "Director, Secondary Education, Bihar."
- 5. Amendment of Section-7 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).-Subsection (1) (2) and (3) of section-7 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) shall be substituted by the following:-
 - (1) committees of courses-

A committee of courses shall be constituted by the Board for each faculty of subjects and every such committee shall consist of five members who shall be subject experts.

- (2) Every committee constituted under sub-section (1) shall consist of-
 - (I) One person nominated by the Director, Secondary Education, Bihar.
 - (II) One person nominated by the Director, State Council of Educational Research and Training Bihar.
 - (III) Two Senior Principals/Teachers of Secondary and Senior Secondary Schools and Degree Colleges nominated by the Chairman of the Board.
 - (IV) One person nominated by the Director, National Council of Educational Research and Training New Delhi.
 - (3) It shall be the duty of the Committees-
 - (a) to recommend to the State Government through the Board and the State Council of Educational Research and Training Bihar, the courses of study taught at the secondary stage in secondary schools or senior secondary schools in their respective subjects;
 - (b) to give such instructions as may be prescribed to the "Bihar State Text Book Publishing Corporation Ltd. Patna" for the preparation of text books in accordance with the approved courses of study;
 - (c) To recommend to the Director, Secondary Education, Bihar text books for secondary schools or senior secondary schools classes at the secondary stage, other than those published by the Bihar State Text Book Publishing Corporation Ltd. Patna;
 - (d) To suggest improvements in the courses of study and methods of teaching classes at the secondary stage in high schools; and
 - (e) to perform such other functions in consistent with the purposes of this Act as may from time to time by entrusted to it by the Director, Secondary Education, Bihar.

- 6. Amendment of Section-8 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).- Section-8 of the Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) shall be substituted by the following:-
- 8 (1) Officers of the Board The following shall be the officers of the Board, namely:-
 - (i) the Chairman
 - (ii) the Secretary
 - (iii) the Director Academic
 - (*iv*) the Joint Secretary (Senior Secondary)
 - (v) the Joint Secretary (Secondary)
 - (vi) the Controller of Examination (Senior Secondary)
 - (vii) the Controller of Examination(Secondary)
 - (viii) the Finance Officer, and
 - (ix) Such other officers as may be prescribed by rules made under this Act to be officers of the Board; and
- 8 (2) Besides the Chairman and the Secretary, the power and duties of the officers mentioned in sub-section (1) of section-8 shall be decided by the Board with the approval of the administrative department.
- 7. Amendment of sub section (4) of section-10 B of the Bihar School Examination Board Act 1952 as amended.- The words "Principal Secretary, Human Resource Development Department, Govt. of Bihar" of sub section (4) of section 10 B of said Act shall be substituted by words "State Government."
- 8. Amendment of Section-10 C of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) as amended.- The following shall be inserted after first proviso of Section-10 C of Bihar School Examination Board Act 1952:—

Provided further that Board may frame regulation laying down criteria for constitution of Governing body/ Management committee.

- 9. Amendment of Section-12 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).-(1) In clause (f) of Section-12 of the Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) following shall be substituted-
- (f) Payment of grants among secondary schools and senior secondary schools to enable such schools to introduce revised courses of studies and to make other improvements;
- (2) In first proviso of clause (i) of Section-12 the words "Director, of public Instruction, Bihar" shall be substituted by "Director, Secondary Education, Bihar."
- 10. Amendment of Section-17 of Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952).-In Section-17 of the Bihar School Examination Board Act 1952 (Bihar Act 7 of 1952) the words "State Government" shall be substituted by the words "Administrative Department".

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 237-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in